राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 37( )पंरावि/प्र.2/कलिभ/जिपमूप/2018/2622 जयपुर दिनांकः 13.6.18

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त।

विषयः– कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 के अन्तर्गत कम्प्यूटर प्रमाण पत्र योग्यता के संबंध में मार्गदर्शन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में कम्प्यूटर सांईस/एप्लीकेशन पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र की समकक्षता के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

उल्लेखनीय है कि कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 के अन्तर्गत सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में कम्प्यूटर एक विषय (कम्प्यूटर सांईस/एप्लीकेशन पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र) को आएससीआईटी की समकक्षता के संबंध में अन्य अभ्यर्थी लोकेश कुमार के प्रकरण में तकनीकी शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन चाहा जाने पर उनके पत्रांक 3227 दिनांक 16.02.2018 के द्वारा अवगत कराया कि इस संबंध में गठित कमेटी द्वारा "अभ्यर्थी द्वारा अर्जित योग्यता विज्ञापन में वर्णित कम्प्यूटर से संबंधित निर्धारित न्यूनतम योग्यता नही है, अतः प्रार्थी पात्र नही है।" बाबत अभिशंषा की है। तदनुसार ही विभागीय पत्रांक 1469 दिनांक 02.04.2018 द्वारा जिला परिषद समस्त को निर्देश जारी किये गये।

इस संबंध में तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 18.05.2018 द्वारा स्पष्ट किया है कि दिनांक दिनांक 14.03.2016 से प्रभावी कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2)कार्मिक/क–2/2006पार्ट दिनांक 14.03.2016 के बिन्दु संख्या 3 में कम्प्यूटर योग्यता के बिन्दु बी के अन्तर्गत प्रावधान है। अतः Senior Secondary certificate from a recognized Board of Secondary Education in the Countary, with Computer Science/Computer Application as one of the subject पाठ्यक्रम आरएससीआईटी (RSCIT) के समकक्ष है। श्री लोकेश कुमार जैमन के प्रकरण में भी तदनुसार ही कार्यवाही की जावें।

अतः पूर्व में विभागीय पत्रांक 1469 दिनांक 02.04.2018 को निरस्त करते हुये निर्देशित किया जाता है कि इस विषय में तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा अपने नवीनतम पत्र दिनांक 18.05.2018 द्वारा दिया गया दिशा–निर्देश प्रभावी होगा।

अतः Senior Secondary certificate from a recognized Board of Secondary Education in the Countary, with Computer Science/Computer Application as one of the subject पाठ्यक्रम आरएससीआईटी (RSCIT) के समकक्ष है।

12/6/18
(कुंजीलाल मीणा)
आयुक्त एवं शासन सचिव

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. प्रोग्रामर मुख्यालय को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने के क्रम में।

अतिरिक्त आयुक्त
एवं संयुक्त शासन सचिव